झारखण्ड उच्च न्यायलय, राँची के समक्ष

सिविल रिट याचिका संख्या- 6206/ 2023

---

1. अजय कुमार वर्मा, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- कृपाशंकर वर्मा, निवासी- फ्लैट नंबर बी 2-1001 एवरेस्ट एन्क्लेव, वृंदावन योजना, सेक्टर-13, डाकघर- वृंदावन कॉलोनी, थाना -पी. जी. आई, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. आनंदमय साव, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- स्वर्गीय काली चरण साव, निवासी- फ्लैट नंबर 404 ब्लॉक-एफ, बोकारो स्टील ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, रानीपोखर, डाकघर- बड़ीमारा, थाना - हरला, बोकारो स्टील सिटी, जिला - बोकारो, झारखंड।
3. अनिल कुमार ठाकुर, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्व. वी.एन. ठाकुर, निवासी जे/402, मालती लक्सुरिया सिटी, डाकघर- सेक्टर - 6, थाना - चास मुफस्सिल, बोकारो स्टील सिटी, जिला - बोकारो, झारखंड।
4. अपूर्व कांति हाजरा, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय सिद्धेश्वरी प्रसाद हाजरा, निवासी- फ्लैट नंबर गोल्ड 42, आइडियलएन्क्लेव, राजारहाटमेन रोड, न्यू डेरोजियो कॉलेज, डाकघर - राजारहाट गोपालपुर, थाना - नारायणपुर, जिला - 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल।
5. अशोक कुमार, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- शिव प्रसाद सिंह, निवासी- फ्लैट नंबर 2011, सेक्टर 4-डी, डाकघर और थाना- बोकारो स्टील सिटी, जिला - बोकारो, झारखंड।

6. अशोक कुमार, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- स्वर्गीय शाम सरूप, निवासी- बी-1201 आम्रपाली एम्पायर, एबीईएस कॉलेज के सामने, डाकघर -क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, थाना-विजय नगर, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
7. अशोक कुमार श्रीवास्तव, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- मुरली मनोहर प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी- फ्लैट नंबर - ए/-37, के के सिंह कॉलोनी, डाकघर- चिरा चास, थाना- चास, जिला - बोकारो, झारखंड।
8. अवधेश कुमार गुप्ता, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय गजानंद गुप्ता, निवासी- फ्लैट नंबर 103, बिल्डिंग नंबर ए-1, कुमार पेबल पार्क हाउसिंग सोसाइटी, हंडेवाड़ी रोड, डाकघर और थाना- हडपसर, जिला-पुणे, महाराष्ट्र।
9. अवनींद्र कुमार मिश्रा, उम्र- लगभग 65 वर्ष, पिता- स्वर्गीय शंभू नाथ मिश्रा, निवासी- बी-20, केके सिंह कॉलोनी, डाकघर - चिरा चास, थाना- चास, जिला- बोकारो, झारखंड।
10. बिजय कुमार प्रसाद, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय सदा नंद प्रसाद, निवासी- हाउस नंबर- 47 रोड-सी फेज-5, केके सिंह कॉलोनी, डाकघर - चिरा चास, थाना- चास, जिला बोकारो, झारखंड।
11. देबब्रत अधिकारी, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्व.राधेश्याम अधिकारी, निवासी- फ्लैट नंबर 45, डाकघर- कोकपारा, थाना- धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
12. देव कृष्ण झा उर्फ देव कुमार झा, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- बीएनझा, निवासी- रामनगर, डाकघर- पेरजुआर, थाना- अरेर, जिला मधुबनी, बिहार।
13. देवव्रत कुमार साहा, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय छोटे लाल साहा, निवासी- 22 एमएच स्ट्रीट, डाकघर एवं थाना- आसनसोल, जिला बर्धमान, पश्चिम बंगाल।

14. गौतम सेन, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय बिनॉयसेन, निवासी- 4बी, ब्लॉक सीसी-16 कृष्णा आशीर्वाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एक्शन एरिया 1 न्यू टाउन, डाकघर और थाना- न्यू टाउन कोलकाता, जिला- 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
15. जगदीश प्रसाद भगत, उम्र- लगभग 65 वर्ष, पिता- स्वर्गीय छठू प्रसाद भगत, निवासी- ई/95 कुंज विहार, डाकघर- चिरा चास, थाना-चास जिला-बोकारो झारखंड।
16. जीवन लाल चट्टराज, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्व. जाहर लाल चट्टराज, निवासी- 806 ब्लॉक-1, बोकारो स्टील ऑफिसर्स हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, डाकघर -सेक्टर 9, पीबी-हरला, जिला बोकारो, झारखंड।
17. कमल कुमार सिन्हा, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय फणीन्द्र नाथ सिन्हा, निवासी- 201 बी ब्लॉक, आनंद विहार फेज1, डाकघर- चिरा चास, थाना-चास, जिला बोकारो, झारखंड।
18. कुंतल कुमार सान्याल, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय एनसीसान्याल, निवासी- डी-208, मालती लक्सुरिया सिटी, डाकघर- सेक्टर 6, थाना- चास मुफसैल, बोकारो स्टील सिटी, जिला- बोकारो, झारखंड।
19. मधुसूदन दास, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- स्वर्गीय भुबन मोहन दास, निवासी- फ्लैट नंबर- 7ए ब्लॉक-सीसी16, कृष्णा आशीर्वाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, डाकघर और थाना-न्यूटाउन, जिला उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
20. महेंद्र भुजबल, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- नरेंद्र भुजबल, निवासी- फ्लैट नं. 1305, टॉवर नंबर 3, टाटा एरियानाडाकघर- घाटिकियाकलिंगा नगर, थाना- तमांडो, जिला- खोरदा भुवनेश्वर, ओडिशा।

21. मुकुंद कुमार, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय एसएन सहाय, निवासी- ई6/5डी, सेल सिटी, न्यू पुंदाग, डाकघर- सेल सिटी, थाना- पुंदाग, जिला-रांची, झारखंड।
22. नीलकंठ साहू, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- स्वर्गीय भीमसेन साहू, निवासी- प्लॉट नंबर 1745/4413 द्वारिका विहार, पाटिया स्टेशन रोड, डाकघर-के.आई.आई.टी, बी.बी.एस.आर, थाना- इन्फोसिटी, जिला- खोरदा, भुवनेश्वर, ओडिशा।
23. ओम प्रकाश सिन्हा, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- गोविंद प्रसाद, निवासी- ए-79, सेल सैटेलाइट टाउनशिप,डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, झारखंड।
24. पलास चंद्र मुखोपाध्याय, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- द्विजपदमुखोपाध्याय, निवासी- अरबिंदोपल्ली, लोअर बेनियासोल, डाकघर और थाना - अद्रा, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल।
25. पंकज कुमार गुप्ता, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय रघु नंदन प्रसाद, निवासी- फ्लैट नंबर जीएफ02, ब्लॉक बी, आनंद विहार फेज1, डाकघर और थाना- चिरा चास, जिला- बोकारो, झारखंड।
26. पीताबासा नायक, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय दीनबंधु नायक, निवासी- हाउस नंबर 10-4सी/1253, सेक्टर-10, सीडीए, कटक सदर, डाकघर - सेक्टर 11 सीडीए, कटक, थाना- सीडीएफेज2 सेक्टर 11, जिला-कटक, ओडिशा।
27. प्रकाश चंद्र झा, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- स्वर्गीय कामेश्वर झा, निवासी- बी-101, बोकारो स्टील ऑफिसर्स हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, डाकघर-बैदमारा, थाना-हरला, जिला बोकारो, झारखंड।
28. प्रशांत कुमार दत्ता, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- स्वर्गीय क्षितीश चंद्र दत्ता, निवासी- क्षितीश भवन, नतुनपल्ली, डाकघर और थाना- बिश्नुपुर, जिला- बांकुरा, पश्चिम बंगाल।

29. रवींद्र कुमार सिन्हा, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय ब्रज नंदन प्रसाद, निवासी- 301 लीला अपार्टमेंट, आनंद विहार एक्सटेंशन फेज1, डाकघर- चिरा चास, थाना- चास, जिला बोकारो, झारखंड।

30. राकेश चंद्र मिश्रा, उम्र- लगभग 65 वर्ष, पिता- सुरेन्द्र नाथ मिश्रा, निवासी- फ्लैट नंबर ए9-703, सेवियरग्रीनिसल, थाना- क्रॉसिंग रिपब्लिक, थाना-विजय नगर, गाजियाबाद, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

31. राम चंद्र साहू, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- बीएन साहू, निवासी- प्लॉट संख्या 2148, चिंतामणिश्वर मंदिर रोड, डाकघर और थाना- लक्ष्मीसागर, भुवनेश्वर, जिला-खोरदा, ओडिशा।

32. सचिदानंद मिश्रा, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय ए.के. मिश्रा निवासी- फ्लैट नंबर 616, टावर-4, रॉयल लैगून, रघुनाथपुर, डाकघर- कलरहांगा, थाना- नंदन कानन, भुवनेश्वर, जिला खोरदा, ओडिशा।

33. संतोष कुमार अवस्थी, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय शंकर लाल अवस्थी, निवासी- बी-11, शशाक, सेक्टर-2, सृष्टि कॉम्प्लेक्स, डाकघर- मीरा रोड (पूर्व), थाना- काशी मीरा, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र।

34. श्री कांत उपाध्याय, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्व. कपिल मुनि उपाध्याय, निवासी- ए-44 एसटी-1पीएच-1, केके सिंह कॉलोनी, डाकघर- चिरा चास, थाना-चास, जिला बोकारो, झारखंड।

35. सोम नाथ ओझा, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- अजीत कुमार ओझा, निवासी- एफ-801, मालती लक्सुरिया सिटी, डाकघर- सेक्टर 6, थाना- चास मुफस्सिल बोकारो स्टील सिटी, जिला - बोकारो, झारखंड।

36. सुमित्रोडे, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय प्रमथ नाथ डे, निवासी- फ्लैट नंबर 54 - डीडी - 12, मंगल गंथी, अनुपमा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, वीआईपी रोड

कोलकाता, डाकघर-एयरपोर्ट,थाना- बागुईआटी, जिला- उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल।

37. सुशील कुमार घोष, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अजीत कुमार घोष, निवासी- फ्लैट नंबर-बी2, द्वितीय तल, रामकृष्ण अपार्टमेंट, 11/16सी (74 एम), श्री गुरु पार्क, कैलाश घोष रोड, डाकघर- बारिशा, थाना- हरिदेवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

38. त्यागराजनसुंदरराजन, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- के. त्यागराजन, निवासी- सौंदर निवास, नंबर 6, प्लॉट 2 और 3, 27वीं स्ट्रीट श्रीकृष्ण नगर, डाकघर और थाना- मदुरावॉयल, चेन्नई, तमिलनाडु।

39. तपन कुमार हलधर, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्व. सतीश चंद्र हलधर, निवासी- एफ/402 बोकारो स्टील ऑफिसर्स हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, डाकघर- बैदमारा, थाना- हरला सेक्टर 9, जिला-बोकारो, झारखंड।

40. तेजिंदर पाल सिंह, उम्र- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय बिशन सिंह, निवासी- फ्लैट नंबर डी2-1508, स्प्रिंग मीडोज, (टेकजोन-4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित), डाकघर और थाना - बिसरख, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

41. उत्तम कुमार सिन्हा, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- स्वर्गीय बिशेश्वर प्रसाद सिन्हा, निवासी- ओ-24, मंगलमूर्ति टावर, आशियाना गार्डन फेज4, डाकघर-चिरा चास, थाना-चास, जिला बोकारो, झारखंड।

42. वेन्नापुसा रघुनाथ रेड्डी, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- वेन्नापुसाबयापु रेड्डी, निवासी- फ्लैट नंबर 1-4-391, एचएलसी कॉलोनी एक्सटेंशन, डाकघर- जॉर्जपेट, थाना- 3 टाउन अनंतपुर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश।

... याचिकाकर्ता

-बनाम-

1. भारत संघ, द्वारा- सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, डाकघर, थाना और जिला- नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस्पात भवन, लोधी रोड, डाकघर, थाना और जिला- नई दिल्ली।
3. निदेशक (कार्मिक), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस्पात भवन, लोधी रोड, डाकघर, थाना और जिला- नई दिल्ली।
4. कार्यकारी निदेशक (पी एंड ए), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस्पात भवन, लोधी रोड, डाकघर, थाना और जिला- नई दिल्ली।
5. प्रभारी निदेशक (बोकारो स्टील प्लांट), प्रथम तल, इस्पात भवन, एडमिन बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना -बोकारो, जिला-बोकारो स्टील सिटी, झारखंड।
6. कार्यकारी निदेशक (पी एंड ए), (बोकारो स्टील प्लांट), प्रथम तल, इस्पात भवन, प्रशासनिक भवन, डाकघर एवं थाना- बोकारो, जिला- बोकारो स्टील सिटी, झारखंड।
7. कार्यकारी निदेशक, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईटी), रांची, चौथा तल, आरडीसीआईएस बिल्डिंग, श्यामली, डाकघर एवं थाना - डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड।

... प्रत्यर्थीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री दिवाकर उपाध्याय, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी- भारत संघ की ओर से: श्री अनिल कुमार, ए.एस.जी.आई।

प्रत्यर्थी- सेल की ओर से: श्री बिभाष सिंह, अधिवक्ता।

<u>आदेश संख्या 21 /दिनांकित 20 फरवरी, 2024</u>

1. वर्तमान रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई है , जिसमें निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:-

    (ए) माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सर्किट बेंच, रांची द्वारा ओ. ए. संख्या 051/000787/2022 में पारित आदेश, दिनांक 17.10.2022, को अभिखंडित और रद्द करने के लिए "उत्प्रेषण" की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जिसके द्वारा और जिसके तहत माननीय न्यायाधिकरण ने सार-रहित होने के आधार पर याचिकाकर्ताओं के मामले को खारिज कर दिया है;और साथ ही उक्त आदेश को अभिखंडित करने के पश्चात प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए कि वे सभी लाभ प्रदान किए जाएं जो याचिकाकर्ताओं ने माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सर्किट बेंच, रांची के समक्ष ओ. ए. संख्या 051/000787/2022 में प्रार्थना की थी।

    और/अथवा

    (बी) कोई अन्य आदेश / रिट / निर्देश पारित करें जैसा कि आप माननीय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और कानून के अनुसार उपयुक्त और उचित समझें।

2. रिट याचिका में की गई दलील के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

3. रिटयाचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत के निवारण के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है। विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रतिवादियों को बुलाया है। हालांकि, कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था, लेकिन मामले के गुणागुण, विशेष रूप से कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर मूल आवेदन की पोषणीयता, पर बहस की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, अन्य कर्मचारियों को बकाया धनराशि से वंचित कर दिया गया। विद्वान न्यायाधिकरण ने पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों का मूल्यांकन करने के पश्चात मूल आवेदन को खारिज कर दिया है, 01.01.2017 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए बकाया राशि का लाभ देने से इनकार कर दिया है। विद्वान न्यायाधिकरण ने यह टिप्पणी भी की है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के भेदभाव और उल्लंघन के आधार को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इस पर कोई अभिवचन नहीं है। उपरोक्त आदेश इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपितहै। इस मामले पर इस न्यायालय द्वारा 5 फरवरी, 2024 को विस्तार से सुनवाई की गई। निम्नलिखित आदेश पारित किया गया, संदर्भ के लिए उक्त आदेश का संदर्भ नीचे दिया गया है:-

"आदेश संख्या 20/दिनांकित 5 फरवरी, 2024

1. वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है जिसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सर्किट बेंच, रांची द्वारा ओ. ए. संख्या051/000787/2022 मेंपारितआदेश, दिनांक17.10.2022,को आक्षेपितकियागयाहै।
2. श्री दिवाकर उपाध्याय, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभ में, कार्यालय आदेश दिनांक 18.11.2021 का संदर्भ देते हुए, जैसा कि अनुलग्नक -2 में संलग्न है, प्रस्तुत किया है कि वह अब 8ए, 8बी

और 8सी के तहत की गई प्रार्थना पर जोर नहीं दे रहे हैं, जिन्हें नीचे संदर्भित किया जा रहा है-:

"8.ए(पी एंड ए) कार्यकारी निदेशक ., सेल, नई दिल्ली के हस्ताक्षर से जारी कार्यालय आदेश, दिनांक 18.11.2021, संख्या पीईआर-आईसी/ 1213/2017 (अनुबंध-2) में निहित विविध खंड 13(i) को रद्द करने के लिए, जिसके तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा 01.01.2017 से 31.03.2020 की अवधि के लिए कर्मचारियों को वेतन संशोधन के लिए बकाया राशि के (यहां आवेदकों सहित) भुगतान से इनकार करने का गलत निर्णय लिया गया है।

बी) यह अभिनिर्धारित करना और घोषित करना कि दिनांक 1 के आदेश में निहित उपरोक्त आक्षेपित खंड, आवेदकों को बकाया भुगतान के साथ वेतन संशोधन के लाभों से इनकार करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह आवेदकों के साथ भेदभाव करने के बराबर है और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

सी.) आवेदकों को सेवानिवृत्ति के समय देय बकाया और फिटमेंट उत्तरदाताओं को एक उचित आदेश/निर्देश जारी करने के लिए कि वे बकाया और फिटमेंट लाभों के भुगतान के साथ वेतन संशोधन का लाभ प्रदान करें, जो आवेदकों को सेवानिवृत्ति के समय देय है, साथ ही साथ वैधानिक और दंडात्मक ब्याज के साथ उन व्यक्तियों को भी दिया गया है जो इसमें आवेदकों से कनिष्ठ हैं और आवेदकों के बहुत बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।

3. ऐसी प्रार्थना पर जोर न देने का कारण यह है कि कार्यालय आदेश, दिनांक 18.11.2021,में बोर्ड के निर्णय के अनुसार वेतन संशोधन का लाभ दिए जाने का यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित वेतनमान 01.01.2017 से फिटमेंट लाभ के साथ प्रभावी होगा जो मूल वेतन आई +.डी.ए का 15% होगा।
4. इसमें वेतन निर्धारण की कार्यप्रणाली का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें खंड 2.3.2 के अनुसार उपरोक्त फिटमेंट 01.01.2017 से सांकेतिक रूप से लागू होगा और वास्तविक भुगतान वार्षिक वेतन वृद्धिपदोन्नति लाभ/, यदि कोई हो, को शामिल करने के बाद 01.04.2020 से शुरू होगा।
5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिवाकर उपाध्याय ने अपने तर्क में कहा कि उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुसरण में, एक या अन्य याचिकाकर्ताओं की सेवा से अलग होने की तिथि के आधार पर 01.01.2017 से सांकेतिक लाभ दिया गया है।
6. जहां तक फिटमेंट लाभ के संबंध में लिए गए निर्णय का प्रश्न है, जो कि 18.11.2021 के कार्यालय आदेश के अनुसार मूल वेतन आईडीए का +15% होगा, विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष यह प्रार्थना भी की गई थी कि 01.01.2017 से 01.04.2020 तक के सांकेतिक लाभ के आधार पर फिटमेंट लाभ के साथ एरियर दिया जाए, जो कि मूल वेतन आईडीए का +15% होगा।
7. हालांकि, विद्वान न्यायाधिकरण ने संशोधन के परिणामस्वरूप बकाया धनराशि का लाभ देने से इस कारणवश कर दिया है कि कार्यालय आदेश दिनांक 18.11.2021 के अनुसार सांकेतिक लाभ दिया जाना था और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि एक या दूसरे याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की तारीख तक सांकेतिक लाभ दिया गया है, लेकिन मूल वेतन + आईडीए का15% का फिटमेंट लाभ नहीं दिया गया है।

8. विद्वान न्यायाधिकरण को, प्रतिवादियों के बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के आधार पर, जैसा कि दिनांक 18.11.2021 के कार्यालय आदेश में निहित है, प्रतिवादियों को कम से कम मूल वेतन आईडीए के +15% के फिटमेंट लाभ के आधार पर सांकेतिक लाभ बढ़ाने का निर्देश देना चाहिए था। परन्तु, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उपाध्याय ने उपरोक्त आधार पर यह निवेदन किया है कि अब वह केवल कार्यालय आदेश, दिनांक 18.11.2021,के अनुसार फिटमेंट लाभ के संबंध में याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में अपनी प्रार्थना रख रहे हैं।

10. बोकारो स्टील लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बिभाष सिन्हा ने इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने और हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है कि क्या मूल वेतन आईडीए के +15% के फिटमेंट लाभ के साथ एक या अन्य याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सांकेतिक लाभ दिया गया है।

11. ऐसा हलफनामा अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले दाखिल किया जाए।

12. इस मामले को 20.02.2024 को सूचीबद्ध किया जाए। "

4. उपरोक्त आदेश से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने फिटमेंट लाभ के खंड 2.3.2 पर निर्भरता व्यक्त करते हुए अपना पक्ष आगे बढ़ाया है। रिटयाचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रार्थना को केवल सांकेतिक रूप से देय फिटमेंट लाभ तक ही सीमित रखा जो 01.01.2017 से लेकर एक या अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक प्रभावी है। इस न्यायालय ने उक्त दलील पर विचार करते हुए बोकारो स्टील लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने और हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है।

5. यह हलफनामा इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुसरण में दायर किया गया है।

6. बोकारो स्टील लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बिभाष सिन्हा ने क्लॉज2.2 का हवाला देते हुए निवेदन किया है, जो किसी एक या अन्य कर्मचारी के पक्ष में दिए जाने वाले फिटमेंट लाभ के बारे में है। उक्त फिटमेंट लाभ वेतन निर्धारण के लिए एक पद्धति पर आधारित है, जिसमें फिटमेंट लाभ का लाभ देने के उद्देश्य से एक या अन्य कर्मचारी अर्थात कार्यकारियोंकी प्रक्रिया और पात्रता प्रतिवादितहै। क्लॉज2.3.1 का संदर्भ दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि वेतन निर्धारण की पद्धति के आधार पर फिटमेंट लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, क्लॉज2.3.1 के तहत दोहरी शर्तें प्रदान की गई हैं अर्थात कार्यकारियोंको 01.01.2017 तक कंपनी के रोल पर होना चाहिए। उपर्युक्त शर्त के साथ, अपेक्षित शर्त यह है कि ऐसे कार्यकारियों को 01.04.2020 को कंपनी के रोल पर जारीरखा जाना चाहिए। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि एक या अन्य कार्यकारियों के वेतन निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली का सहारा तभी लिया जाना चाहिए, जब कार्यकारी 01.01.2017 को कंपनी के रोल पर पाए जाते हैं और 01.04.2020 को कंपनी के रोल पर बने रहते हैं।

7. खंड 2.3.2 का संदर्भ भी दिया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता की प्रमुख दलील खंड 2.3.2 पर निर्भरता व्यक्त करते हुए दी गई थी। यह प्रतिवादित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो तर्क दिया गया है कि केवल इसलिए कि एक या अन्य अधिकारी 01.01.2017 को रोल पर थे, ऐसे अधिकारियों को वित्तीय लाभ नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि ऐसे अधिकारी 01.04.2020 को भी कंपनी के रोल पर न हों।

8. यह दलील दी गई है कि खंड 2.3.1 की व्याख्या दोनों शर्तों की पूर्ति के लिए है और केवल तभी खंड 2.3.2 के अंतर्गत निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

9. बोकारो स्टील लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त आधार पर दलील दी है कि याचिकाकर्ता उक्त लाभ के हकदार नहीं हैं और मामले को दृष्टिगत रखते हुए, यदि विद्वान न्यायाधिकरण ने मूल आवेदन को खारिज कर दिया है, तो इसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

10. प्रत्युत्तरमें, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि उक्त फिटमेंट लाभ अनुचित वर्गीकरण पर आधारित है और इस प्रकार, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, कारण यह है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, केवल यह उन्हे उक्त लाभ से वंचित करने का आधार नहीं माना जा सकता है।

11. इसके अतिरिक्त कारण यह है कि यह वित्तीय अर्थापत्तिकी आड़ में जानबूझकर किया गया है जबकि प्रतिवादी बोकारो स्टील लिमिटेड के समक्ष ऐसी कोई वित्तीय अर्थापत्तिनहीं थी । यह भी दलील दी गई है कि फिटमेंट लाभ के अनुसार वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि एक या अन्य कार्यकारी को 01.01.2017 तक कंपनी के रोल पर होना चाहिए, जो फिटमेंट लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

12. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा उनके तर्कों का मूल्यांकन किया है तथा विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर भी विचार किया है।

13. इस न्यायालय को, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त संदर्भित तर्क के आधार पर दिनांक 18 नवंबर, 2021 के कार्यालय आदेश के खंड 2.3.1 की व्याख्या करने की आवश्यकता है कि क्या केवल इस आधार पर कि एक या अन्य कार्यकारी, जो 01.01.2017 को रोल पर थे, क्या ऐसे अधिकारी फिटमेंट लाभ के हकदार हैं या

उन्हेअन्य शर्त भी पूरा करना चाहिए अर्थात ऐसे कार्यकारी 01.04.2020 को भी रोल पर होने चाहिए।

14. दूसरा प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है कि खंड 2.3.2 को अलग से या खंड 2.3.1 के साथ लिया जा सकता है। चूंकि दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है और इनका उत्तर दिया जा रहा है।

15. इन दोनों मुद्दों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से 18 नवंबर, 2021 के कार्यालय आदेश पर विचार करना और उसका संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा। यह बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर कार्यरत कार्यकारीगणके वेतन-पुनरीक्षण के लिए है। उक्त कार्यालय आदेश भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय से प्राप्त 'राष्ट्रपति के निर्देशों' के अनुसरण में पत्र संख्या एस 29026/94/2021-सेल दिनांक 18 नवंबर, 2021 द्वारा निर्गत किया गया था और बोर्ड के निर्णय, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन ने बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर कार्यरत सेल इस्पात संयंत्रों/इकाइयों के कार्यकारीगणके वैतनिकढांचे में पुनरीक्षणकी घोषणा की है। वेतनमान के उक्त पुनरीक्षण का दायरा और विस्तार सेल इस्पात संयंत्रों/इकाइयों के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर कार्यरत सभी कार्यकारीगण के लिए है। उक्त कार्यालय आदेश एक अन्य निर्णय के साथ भी है जोखंड 2.2 के अन्तर्गत देय फिटमेंट लाभ के लिए है।

16. हम फिटमेंट लाभ के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए यहाँ हैं जो वर्तमान मुद्दे का मूल है। फिटमेंट लाभ, खंड 2.3.1 के तहत प्रस्तुत सारणीबद्ध चार्ट के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए एक पद्धति के साथ आता है। इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक खंड 2.3.1 और 2.3.2 के तहत निर्धारित शर्तें हैं, इसे दोनों शर्तों की व्याख्या करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है:

2.3.1 जो कार्यकारी 01.01.2017 को कंपनी के रोल पर थे और 01.04.2020 को कंपनी के रोल पर बने रहेंगे, उन्हें निम्नलिखित फिटमेंट पद्धति के अनुसार वेतन के संबंधित संशोधित (पुनरीक्षित) वेतनमान में फिट किया जाएगा।

ए		बी		सी		डी (पुनरीक्षितबी.पी.)
बेसिक पे + दि0 31.12.2016 को (स्टैग्नैशनइनक्रीमेंट) स्थिरता वेतन-वृद्धि	+	आइ.डी.ए. @ 119.5%, दि0 01.01.2017 को	+	(ए+ बी) का 15%	=	कुल धन राशि (अगले 10 रु0 तक पूर्णांकित)

यदि दिनांक 1.1.2017 को संशोधित बी.पी. संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से कम है, तो वेतन संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा।

2.3.2 उपर्युक्त फिटमेंट1.1.2017 से सांकेतिक रूप से लागू होगा और वास्तविक भुगतान वार्षिक वेतन वृद्धि/पदोन्नति लाभ, यदि कोई हो, को शामिल करने के बाद 1.4.2020 से प्रारम्भ होगा। वेतन के बंचिंग के मामले में, डी.पी.ई दिशानिर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार निपटारा किया जाएगा।

17. शर्त 2.3.1 से यह स्पष्ट है कि फिटमेंट लाभ प्रदान करने के लिए जो कार्यकारी 01.01.2017 को रोल पर थे और 01.04.2020 को कंपनी के रोल पर बने हुए हैं, उन्हें फिटमेंट पद्धति के अनुसार वेतन के संबंधित पुनरीक्षितवेतनमान में फिट किया जाएगा।

18. यह नोट भी दिया गया है कि यदि 01.01.2017 को पुनरीक्षितमूल वेतन पुनरीक्षितवेतनमान के न्यूनतम से कम है, तो वेतनपुनरीक्षितवेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा।

19. खंड 2.3.2 में एक शर्त है कि अधिकारियों के लिए फिटमेंट का अधिकार 01.01.2017 से सांकेतिक रूप से लागू होगा और वास्तविक भुगतान वार्षिक वेतन वृद्धि / पदोन्नति लाभ, यदि कोई हो, को शामिल करने के बाद 01.04.2020 से शुरू होगा।

20. इस प्रकार, खंड 2.3.1 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि एक या अन्य कार्यकारियों द्वारा दो शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है, अर्थात एक अधिकारी को 01.01.2017 को रोल पर होना था और उसी के अग्रसारण में 01.04.2020 को कंपनी के रोल पर बने रहना है।

21. दोनों तारीखों अर्थात् 01.01.2017 और 01.04.2020 को 'और' शब्द से जोड़ा गया है।

22. शब्द 'और' की व्याख्या अपेक्षित है कि क्या उक्त शब्द 'और' को वियोजक या संयोजक के रूप में पढ़ा जाए।

23. यदि 'और' शब्द को वियोजक के रूप में पढ़ा जाए, तो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील सही कही जाएगी, जहां तक उसकी पात्रता का प्रश्न है, परन्तु यदि 'और' शब्द को संयोजक के रूप में पढ़ा जाए, तो प्रतिवादी - सेल द्वारा दी गई दलील को संधारणीय कहा जाएगा और मामले के उस दृष्टिकोण से, कार्यकारी इस आधार पर हकदार नहीं माने जाएंगे कि वे खंड 2.3.1 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

24. वाक्य को ऐसे नीतिगत निर्णय के उद्देश्य और आशय के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। किसी शब्द को संयोजक या वियोजक के रूप में उपयोग किए जाने की व्याख्या को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल एवं अन्य [(2020) 8 एससीसी129]**के मामले में दृष्टिगत रखा है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) की विवक्षापर विचार करते हुए, यह अभिमत दिया गया है कि वैधानिक प्रावधान के उद्देश्य और आशय के आधार पर ही किसी शब्द को 'संयोजक' या 'वियोजक' माना जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के निरसंनके आधार पर यदि मुआवजा राशि या कब्जा नहीं लिया गया है, तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) एक व्यावृत्ति-खण्ड है।

25. अधिनियम, 1894 के निरसन के पश्चात अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) को कानूनी- पुस्तक में सम्मिलित किया गया है।

26. मुद्दा यह था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठ के मध्य इस बात पर मतभेद था कि 'या' का अर्थ या तो कब्जा या मुआवजा है, इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो अधिनियम, 1894 के आधार पर शुरू की गई अधिग्रहण की प्रक्रिया को नए अधिनियम, 2013 के तहत माना जाएगा।

27. लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके उपरांत मामले को बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया है और इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है कि 'या' शब्द संयोजक के रूप में पढ़ा जाएगा या वियोजक के रूप में नहीं। इसका अर्थ यह है कि या तो मुआवज़ा या कब्ज़ा उनमें से कोई भी उपलब्ध है, तो पुराने अधिनियम, 1894 के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी और इसे अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

28. इस निष्कर्ष पर पहुंचने का मुख्य कारण, जैसा कि उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट है, यह है कि अधिनियम, 1894 का उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण करना है, लेकिन साथ ही मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाना है और कब्जा भी लिया जाना है।

29. 1894 के अधिनियम का मूल उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण करना था, लेकिन उक्त अधिनियम के तहत विस्थापित व्यक्ति को मुआवजा देने की आवश्यकता थी और एक बार जब राशि का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि, इसे संबंधित बैंक खाते के कोशागार में जमा कर दिया गया है, तो इसे इस शर्त के रूप में नहीं शामिल किया जाएगा कि मुआवजे के लिए राशि स्वीकार नहीं की गई है।

30. इसके अतिरिक्त, इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण, जैसा कि उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट है, यह है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे से भूमि अर्जित की जा रही है, यदि वह सहमत है तो पुराने अधिनियम के तहत तथा नए अधिनियम के तहत भी संदर्भ के माध्यम से आवेदन कर के मुआवजा बढ़ाने की व्यवस्था प्रदान की गई है, लेकिन यदि धन को स्वीकार किए बिना, यदि वह राजकोष में या खाते में जमा किया गया है, तो यह आधार नहीं लिया जा सकता है कि धन स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए मुआवजे के रूप में भुगतान नहीं किया गया है, अन्यथा इसका मूल उद्देश्य और तात्पर्य का पालन नहीं हो पाएगा, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए है।

त्वरित संदर्भ के लिए, **इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त)** में दिए गए निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ अधोलिखित उद्धृत किया गया है:

> "**97**. धारा 24(2) धारा 24(1)(बी) के लिए एक अपवाद का सृजन करती है , जहां अधिनिर्णय (अवार्ड) पारित किया गया है, और कार्यवाही लंबित है, लेकिन ऐसी कार्यवाही में, भूमि का भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया है, या मुआवजा नहीं दिया गया है, कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। चूक के लिए दोहरी आवश्यकताएं हैं; सबसे पहले, भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया है और, दूसरी बात, मुआवजा नहीं दिया गया है। यदि कब्ज़ा ले लिया गया है, लेकिन

मुआवजा दिया गया है, तो कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। जिस प्रश्न पर निर्णय लिया जाना है वह यह है कि क्या शर्तें संचयी हैं यानी अधिग्रहण कार्यवाही की समाप्ति के लिए दोनों शर्तों को पूरा किया जाना है, या शर्तें वैकल्पिक हैं ("या तो/या")। राज्य और अधिग्रहण करने वाली एजेंसियों के अनुसार, ऐसी स्थिति में जहां कब्ज़ा ले लिया गया है, और मुआवजा नहीं दिया गया है, कोई चूक नहीं है: साथ ही ऐसे मामले में जहां मुआवजा दिया गया है, लेकिन 1-1-2014 तक लंबित कार्यवाही में कब्ज़ा नहीं लिया गया है, कोई चूक नहीं है। अनिवार्य शर्त यह है कि कार्यवाही अवश्य ही लंबित होनी चाहिए। उनका तर्क है कि शब्द वाक्यांश "भूमि का भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया है, या मुआवज़ा नहीं दिया गया है" में इस्तेमाल किया गए शब्द "या" की व्याख्या "और" के रूप में की जानी चाहिए क्योंकि दो नकारात्मक आवश्यकताएं इसे योग्य बनाती हैं। इसके अलावा, राज्य का तर्क है कि जब दो नकारात्मक शर्तें "या" से जुड़ी होती हैं, तो उन्हें संचयी समझा जाता है, शब्द "या" को "नहीं" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, भूमि मालिक इसके विपरीत तर्क देते हैं यानी कि यदि मुआवज़ा नहीं दिया गया, या 2013 अधिनियम के लागू होने से 5 साल पहले कब्ज़ा नहीं लिया गया, तो अधिग्रहण की चूक हुई।

98. इस संबंध में वैधानिक व्याख्या के नियमों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (14वां संस्करण), द्वारा न्यायमूर्ति जीपी सिंह, किसी भी कानून द्वारा विहित सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों की वैधानिक व्याख्या के निम्नलिखित सामान्य नियम की बात करता है:

"... सामान्यतया, किसी अधिकार या लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी क़ानून द्वारा निर्धारित सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों के बीच अंतर

किया जा सकता है। "या" से अलग की गई सकारात्मक स्थितियों को वैकल्पिक रूप में पढ़ा जाता है [स्टार कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी, (1970) 3एससीसी864: एआईआर1970 एससी 1559] लेकिन "या" से जुड़ी नकारात्मक स्थितियों को संचयी माना जाता है और "या" को "न तो" या "और" के रूप में पढ़ा जाता है [पटेल चुनीभाई दाजीभा बनाम नारायणराव खांडेराव जांबेकर, (1965) 2 एससीआर 328: एआईआर 1965 एससी 1457; पंजाब प्रोड्यूस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी, (1971) 2 एससीसी 540; ब्राउन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम हैरिसन, 1927 ऑल ईआर रेप 195,203,204 (सीए)]।"

वैधानिक व्याख्या का उपरोक्त नियम पटेल चुनीभाई दाजीभा बनाम नारायणराव खांडेराव जांबेकर [पटेल चुनीभाई दाजीभा बनाम नारायणराव खांडेराव जांबेकर, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1457] मामले में इस न्यायालय के फैसले पर आधारित है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा थाः (ए. आई. आर. पीपी. 1464-65, पैरा 19)

"19. यह स्मरणीय है कि धारा 32 में समय-समय पर संशोधन किए गए थे, और बॉम्बे अधिनियम 38, 1957 ने उप-धारा (1)(बी), खंड (iii) और पूर्ववर्ती "या" को जोड़ा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उप-धारा (1)(ए) और (1)(बी) में उल्लिखित शर्तें परस्पर अनन्य हैं। उप-धारा (1)(ए) और (1)(बी) के बीच "या" शब्द की अनुपस्थिति के बावजूद, दोनों उप-धाराएं वैकल्पिक शर्तें निर्धारित करती हैं। यदि किरायेदारदोनों में से किसी भी शर्त को पूरा करता है तो यह माना जाना चाहिए कि उस ने भूमि का क्रय कर लिया है। अपीलकर्ता स्थायी किरायेदार नहीं है, और उप-धारा (1) (ए) में उल्लिखित शर्त को पूरा नहीं करता है। भले ही वह एक स्थायी किरायेदार नहीं है, लेकिन

उसने पट्टे पर दी गई जमीनों पर व्यक्तिगत रूप से खेती की है, और इसलिए, उप-धारा (1) (बी) में विनिर्दिष्ट शर्त के पहले भाग को पूरा करता है। अपीलकर्ता का तर्क है कि उप-धारा (1) (बी) (i), (1) (बी) (ii) और (1) (बी) (iii) वैकल्पिक शर्तें निर्धारित करती हैं, और चूंकि वह उप-धारा (1) (बी) (iii) में उल्लिखित शर्त को पूरा करता है, इसलिए यह माना जाना चाहिये कि उसने 1-4-1957 को जमीन खरीदी। उप-धारा (1) (बी) (ii) और उप-धारा (1) (बी) (iii) के बीच आने वाले शब्द "या" द्वारा इस तर्क को बल मिल गया है। लेकिन, हमारा मानना है कि उप-धारा (1)(बी)(ii) और (1)(बी)(iii) के बीच "या" शब्द उत्तरवर्ती नकारात्मक के संयोजन से "न" के बराबर है और इसे "न" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भूमि पर व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाला एक किरायेदार (स्थायी किरायेदार के अलावा) 1-4-1957 को भूमि का खरीददार बन जाएगा, यदि उस तिथि पर न तो धारा 29, सपठितधारा 31 के तहत कोई आवेदन लंबित था और न ही धारा 29, सपठितधारा 14 के तहत कोई आवेदन लंबित था। यदि धारा 29, सपठितधारा 31 के तहत या धारा 29सपठित धार 14 के अंतर्गत कोई आवेदन 1-4-1957 को लंबित था, तो किरायेदार "स्थगित तिथि" पर खरीददार बन जाएगा, अर्थात, जब आवेदन को अंतिम रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आवेदन को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, तो किरायेदार खरीददार नहीं बन जाएगा। परंतुक में "आवेदन" शब्द का अर्थ न केवल धारा 31 के तहत आवेदन है, बल्कि धारा 29 के साथ धारा 14 के तहत आवेदन भी है।यदि किसी भी प्रकार का आवेदन 1-4-1957 को लंबित था, तो किरायेदार उस तिथि पर खरीददार नहीं बन सकता था। अब, 1-4-1957 को, धारा 31 के साथ धारा 29 के अंतर्गत प्रतिवादी 1 द्वारा दायर आवेदन लंबित

था। परिणामस्वरूप, यह नहीं माना जा साकता की अपीलकर्ता ने 1-4-1957 को जमीन का क्रय किया था।

(बल दिया गया)

पंजाब प्रोड्यूस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी [पंजाब प्रोड्यूस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी, (1971) 2एससीसी540] के निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित चर्चा में निर्भरता व्यक्त की गई थी भरोसा किया गया था, जहां आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 23-ए और स्पष्टीकरण (बी) (ii) और (iii) के प्रावधान विचाराधीन थे। इस न्यायालय ने "या" के संबंध में फैसला सुनाया और नकारात्मक स्थितियों की अधोलिखित व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया कि इसे "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए: (एससीसी पृष्ठ 543-44, पैरा 7-8)

"7. मूल्यांकनकर्ता की ओर से स्टार कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी [स्टार कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी, (1970) 3एससीसी864: एआईआर1970एससी 1559] में इस न्यायालय के निर्णय पर काफी निर्भरता व्यक्त की गई है। उस मामले में, उप-खंड (बी) (ii) विचाराधीन था, और यह माना गया था कि उस उप-खंड में निहित स्पष्टीकरण के दो भाग वैकल्पिक थे। दूसरे शब्दों में, यदि एक भाग की पूर्ति हो गई थी तो यह विचार करना अनावश्यक था कि क्या दूसरे भाग की पूर्ति भी हुई थी। इस प्रकार, शब्द "या" को संयोजक रूप से नहीं बल्कि विभाजक रूप में माना गया था। उप-खण्ड (बी)(iii) के संदर्भ में उसी तर्क को का अवलंब लेने का प्रयास किया जा रहा है।

8.यह महत्वपूर्ण है कि खंड (ख) के उप-खंड (ii) और (iii) की भाषा भिन्न है। पहला सकारात्मक स्थिति से संबंधित है जबकि दूसरा नकारात्मक शर्तें

निर्धारित करता है। "या" शब्द का प्रयोग अक्सर एक ही चीज़ को अलग-अलग शब्दों में परिभाषित करने या स्पष्टीकरण देने के लिए किया जाता है। इसलिए, यदि उप-खंड (ख)(iii) में पाई जाने वाली दो नकारात्मक शर्तों में से कोई भी पूर्ण नहीं होती है, तो पूरे खंड में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं माना जा सकता है। खंड (ख) के आरंभिक भाग में "और" शब्द के साथ उप-खंड (ख)(iii) में नकारात्मक या अयोग्य शर्तों को पढ़ने का स्पष्ट अर्थ यह है कि करदाता अन्य उप-खंडों में निहित शर्तों के अतिरिक्त इस शर्त की पूर्ति करने के लिए बाध्य था कि पिछले वर्ष के दौरान इसके घटनाक्रम किसी भी समय छह से कम व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं थे और कुल मतदान शक्ति के 50% से अधिक वाले शेयर उसी अवधि के दौरान छह से कम व्यक्तियों द्वारा धारित नहीं थे। जहां तक प्रश्न 1 का संबंध है, हम न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के तर्क या निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।"

यह विचार किया गया कि यदि उप-खण्ड (ख)(iii) में पाई जाने वालीदो नकारात्मक शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है, तो पूरे खण्ड में निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

99.यह भी ध्यान रखना उपयोगी होगा कि ब्राउन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम हैरिसन [ब्राउन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम हैरिसन, 1927ऑलईआररेप195, 203, 204 (सीए)] में, माल की ढुलाई अधिनियम, 1924 में निहित प्रावधान अपीलीयन्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे। न्यायालय ने माना कि

अनुच्छेद IV नियम 2(क्यू) में "या" शब्द को संयोजकात्मकरूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि वियोजनात्मक रूप में। यह देखा गया है कि "या" शब्द का अति सामान्य समाकलन संयोजक- भाव में हो सकता है और निश्चित रूप से

जहां शब्द का वियोजनात्मक उपयोग, विरोधाभास अथवा अर्थहीनता की ओर अग्रसारित करता है।

100. इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, धारा 24(2) में प्रयुक्त शब्दों के समाकलन के संबंध में, दो नकारात्मक शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार, यदि एक शर्त भी पूरी हो जाती है, तो कोई चूक नहीं होती है, और तार्किक रूप से यही 1894 के अधिनियम को 2013 अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से अनुगामित होता है। किसी भी अन्य व्याख्या से अतार्किक परिणाम निकलेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि "या" द्वारा विशेषित दो नकारात्मक शर्तों के संबंध में व्याख्या के नियम का उपयोग किया जाता है, तो "या" को "न तो" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ब्राउन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम हैरिसन [ब्राउन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम हैरिसन, 1927ऑलईआररेप195, 203, 204 (सीए)] ने "या" शब्द से जुड़ी दो नकारात्मक शर्तों की व्याख्या के बारे में निम्नवत अभिनिर्धारित किया है: (ऑलईआरपीपी. 203 ।-204 बी)

"... मुझे लगता है कि सामान्य और व्याकरणिक रूप से इसका संयोजक आशय हो सकता है। यह आम तौर पर वियोजक है, लेकिन शब्दों के मिलान से यह स्पष्ट हो सकता है कि इसका अर्थ संयोजक के रूप में है, और निश्चित तौर पर जहां शब्द का वियोजकात्मक उपयोग विरोधाभास अथवा अर्थहीनता की ओर अग्रसारित करता है, वहाँ यह न्यायालय द्वारा प्रयुक्त व्याख्या के साधारण सिद्धांतों के

यहाँ, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शब्द अर्थहीनता की ओर ले जाता है, क्योंकि इस मामले में जहाज मालिकों द्वारा दी गई दलील इस बात पर निर्भर करती है, जैसा कि मेरे न्यायाधीश महोदय ने कहा, कि, यदि कोई जहाज मालिक

खुद एक केस खोलता है और उसकी सामग्री चुराता है तो उसे नियम 2(क्यू) के तहत दायित्व से छूट मिल जाएगी यदि उसके किसी नौकर ने केस का हिस्सा नहीं चुराया या उसे नहीं तोड़ा। मुझे लगता है कि यह एक स्पष्टतः अर्थहीन बात है। इसके अलावा, इसमें एक विरोधाभास भी है क्योंकि यह स्पष्टतः नियम 2(क्यू) के दूसरे भाग के विरुद्ध है। इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा।"

366.3.धारा 24(2) में कब्जे और मुआवजे के बीच इस्तेमाल किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की कथित चूक तब होती है जब उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भूमि का कब्ज़ा नहीं लिया गया हो और न ही मुआवज़ा दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि कब्ज़ा ले लिया गया है, मुआवज़ा नहीं दिया गया है, तो कोई चूक नहीं है। इसी तरह, यदि मुआवज़ा दिया गया है, कब्ज़ा नहीं लिया गया है, तो कोई चूक नहीं है।

31. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करें तो यहां भी शर्त का मूल उद्देश्य सेल द्वारा सामना की गई वित्तीयअत्यावश्यकता पर आधारित है।

32. यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बार-बार यह आधार लेते हुए अपने तर्क को दोहराया है कि सेल की ओर से वित्तीय आवश्यकता या संकट का आधार लेना गलत है, क्योंकि कंपनी ने इस बीच लाभ अर्जित किया है, लेकिन इस स्तर पर ऐसे आधार से हमारा सरोकार नहीं हैं, क्योंकि 18 नवंबर, 2021 के कार्यालय आदेश में निहित योजना पर सवाल नहीं उठाया गया है, बल्कि रिटयाचिकाकर्ताओं का मामला उन्हें स्वयं 18 नवंबर, 2021 के कार्यालय आदेश के आधार पर फिटमेंट लाभ के लिए हकदार ठहराने के लिए है।

33. अतः यह 18 नवंबर, 2021 के कार्यालय-आदेश के खंड 2.3.1, सपठित खंड 2.3.2, के तहत निर्धारित शर्त के आधार पर एक या अन्य कार्यकारियोंकी पात्रता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से निर्धारित शर्त की व्याख्या का मामला है।

34. धारा 2.3.1 के तहत निर्धारित शर्त, सेल द्वारा अपनाए गए आधार के अनुसार वित्तीय आवश्यकता के मूल में है और यही कारण है कि वित्तीय लाभ, हालांकि 01.01.2017 से सांकेतिक रूप से ऐसे लाभ के अनुदान और 01.04.2020 से वास्तविक भुगतान को ध्यान रखते हुए दिया गया है, लेकिन इसमें शर्त रखी गई है, जैसा कि धारा 2.3.1 से स्पष्ट है, कि कार्यकारी केवल तभी उक्त लाभ पाने के हकदार होंगे यदि वे 01.01.2017 को कंपनी के रोल पर पाए जाते हैं और 01.04.2020 को कंपनी के रोल पर बने रहते है।

35. खंड 2.3.2 के अंतर्गत निर्धारित शर्त "उपर्युक्त फिटमेंटसांकेतिक रूप से 01.01.2017 से प्रभावी होगा और वास्तविक भुगतान वार्षिक वेतन वृद्धि / पदोन्नति लाभ, यदि कोई हो, को शामिल करने के बाद 01.04.2020 से शुरू होगा" शब्दों से शुरू होती है, जिसका अर्थ है कि खंड 2.3.2 केवल सांकेतिकरूप से गिने जाने वाले लाभ की विचारणाहै, लेकिन खंड 2.3.2 में अंतर्निहित शर्त को खंड 2.3.1 के साथ पढ़ा जाना है, यदि कोई कार्यकारी खंड 2.3.1 के दायरे में नहीं आता है, तो 01.01.2017 से सांकेतिक गणना के आधार पर गणना नहीं की जा सकती है और 01.04.2020 से वास्तविक भुगतान होगा।

36. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फिटमेंट लाभ के संबंध में पात्रता के लिए, कार्यकारी सदस्य को 01.01.2017 को रोल पर होना चाहिए और 01.04.2020 तक रोल पर बने रहना चाहिए, जो खंड 2.3.1 और 2.3.2 के तहत निर्धारित दोनों शर्तों की सटीक व्याख्या होगी।

37. इसके अतिरिक्त, दोनों शर्तों को इस तथ्य के मद्देनजर एक साथ पढ़ा जाना चाहिए कि फिटमेंट लाभ की गणना खंड 2.3.1 के आधार पर की जानी है, जबकि आवश्यकता/पात्रता खंड 2.3.2 के तहत है।

38. इसके अतिरिक्त, एक बार काल्पनिक लाभ दिए जाने का निर्देश दिया गया है, जो स्वयं यह दर्शाता है कि यह केवल उन लोगों के लिए है जो कंपनी के रोल पर हैं और 01.04.2020 तक कंपनी के रोल पर बने रहेंगे।

39. मामला अलग होता, यदि 01.04.2020 को कंपनी के रोल पर जारी रहने वाली एक और शर्त नहीं होती, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में, रिटयाचिकाकर्तोफिटमेंट लाभ के लिए हकदार होते, बल्कि यहां शर्तों को संयुक्त बना दिया गया है और कार्यकारी को 01.01.2017 को रोल पर होना है और साथ ही सेवा में निरंतरता के द्वारा 01.04.2020 को भी रोल पर होना है।

40. उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि जहां तक अनुचित वर्गीकरण के तर्क का प्रश्न है, विद्वान न्यायाधिकरण नेआक्षेपितआदेश के अंतिम पैरा में यह नोट किया है कि ऐसा कोई अभिवचन नहीं था।

41. हमें भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के संबंध में कोई अभिवचन नहीं मिला है और जो तर्क दिया गया है वह अभिवचनोंके विपरीत है।

42. चूंकि यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य , (1997) 3 एससीसी 261** में रिपोर्ट किए गए मामले में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जिसके द्वारा और जिसके अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 के तहत विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से विचार किए जाने योग्य है।

43. हम इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि न्यायिक समीक्षा के विस्तार का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार किया जाना चाहिए।

44. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सैयद याकूब बनाम राधाकृष्णन एवं अन्य , एआईआर 1964 एससी 477** के मामले में पारित निर्णय का संदर्भ दिया जा रहा है , जिसमें निर्णायक द्वारा पारित पुरस्कार में हस्तक्षेप दिखाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार किया गया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 7 को अधोलिखित उद्धृतकिया जा रहा है:

" अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण-रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा बहुधा विचार किया गया है और इस संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए उत्प्रेषणकी रिट जारी की जा सकती है:

ये ऐसे मामले हैं जहाँ अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं। इसी तरह एक रिट तब जारी की जा सकती है जब उसे दिए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, यह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहाँ विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्प्रेषणरिट जारी करने का अधिकार एक पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि साक्ष्य के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में फिर से आरंभ नहीं किया जा सकता है या उन पर सवाल नहीं उठाया जा

सकता है। अभिलेख पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली विधि की त्रुटि को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषणकी रिट जारी की जा सकती है यदि यह दिखाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को दर्ज करने में न्यायाधिकरण ने स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से भूलवशइंकार कर दिया था, या अस्वीकार्य साक्ष्य को गलती से स्वीकार कर लिया था जिसने आपत्तिजनक निष्कर्ष को प्रभावित किया है। इसी तरह, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो उसे कानून की त्रुटि माना जाएगा, जिसे उत्प्रेषणकी रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालांकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उत्प्रेषण-रिट की कार्यवाही में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किए गए प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य आपत्तिजनक निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त थे। किसी मुद्दे पर प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तताअथवा अपर्याप्तता तथा उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का निष्कर्ष न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है, तथा उक्त मुद्दों पर रिट न्यायालय के समक्ष बहस नहीं की जा सकती। इन्हीं सीमाओं के भीतर उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण की रिटप्रमाण निर्गत करने का अधिकार दिया गया है, जिसका वैधानिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है **(देखें हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक, 1955-1 एससीआर 1104 : ((एस) एआईआर 1955 एससी233); नागेन्द्र नाथ बनाम कमिश्नर ऑफ हिल्स डिवीजन , 1958 एससीआर 1240: (एआईआर 1958 एससी 398) और कौशल्यादेवी बनाम.बचित्तर सिंह, एआईआर 1960 एससी 1168.**

हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक और अन्य, एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट 233, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्प्रेषणकी रिट केस्वरूप और विस्तार और जिन शर्तों के तहत इसे जारी किया जा सकता है, के संबंध में, पैराग्राफ संख्या 21 में निम्नलिखित प्रतिपादनाएंस्थापित की हैं:

"(1) उत्प्रेषण-पत्र अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी किया जाएगा, जैसा कि तब होता है जब कोई अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या उसका प्रयोग करने में विफल रहता है।

(2) उत्प्रेषणकी रिट तब भी जारी की जाएगी जब न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने निस्संदेह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे जब वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय देता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन (3) उत्प्रेषण की रिट जारी करने वाला न्यायालय पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, न कि अपीलीय क्षेत्राधिकार का। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिस न्यायालय के पास किसी विषय-वस्तु पर क्षेत्राधिकार है, उसके पास गलत और सही दोनों तरह के निर्णय लेने का अधिकार है, और जब विधानमंडल उस निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान नहीं करना चाहता है, तो यह उसके उद्देश्य और नीति को विफल कर देगा, यदि कोई उच्च न्यायालय साक्ष्य के आधार पर मामले की फिर से सुनवाई करता है और उत्प्रेषण की रिटमें अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करता है।"

सावर्ण सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य , (1976) 2 एससीसी 868 में, माननीय न्यायाधीशों ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण-रिट जारी करने की शक्ति पर चर्चा करते हुए, पैराग्राफ संख्या 12 और 13 में निम्नानुसारअवधारित किया है:

> "12. प्रस्तुत विवादों पर विचार करने से पहले, यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि उत्प्रेषण अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ क्या हैं, जिसका प्रयोग केवल निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जा सकता है। उत्प्रेषण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ही किया जा सकता है, जो अपीलीय अधिकार क्षेत्र से अलग है। अनुच्छेद 226 के तहत विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने सैयद याकूब के मामले (उपरोक्त) में बताया गया था।
>
> 13. किसी अवर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण की रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करते समय न्यायाधिकरण ने ऐसे साक्ष्य पर काम किया हो जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो, स्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, या यदि निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो, क्योंकि ऐसे मामलों में त्रुटि कानून की त्रुटि के बराबर होती है। रिट क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक ही सीमित है जहां अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर या उनके द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं या वे अपने

अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करते हैं जिससे न्याय की गंभीर विफलता होती है।"

हैंज इंडिया (पी) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य , (2012) 5 एससीसी 443 में माननीय न्यायाधीशों ने पैराग्राफ संख्या 66 और 67 में निम्नानुसारअवधारित किया है:

"66. न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग से निपटने वाला न्यायालय विधानमंडल या कार्यपालिका या उनके प्रतिनिधियों के निर्णय के स्थान पर अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करता है, तथा न्यायालय अपने स्वयं के समीक्षा द्वारा "विशेषज्ञ की भावना" को प्रतिस्थापित नहीं करता है, यह भी इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा काफी हद तक स्थापित है। ऐसे सभी मामलों में न्यायिक जांच केवल यह पता लगाने तक सीमित है कि तथ्यों के निष्कर्षों का साक्ष्य पर उचित आधार है या नहीं और क्या ऐसे निष्कर्ष देश के कानूनों के अनुरूप हैं।

67. धरंगधर केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम सौराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय ने माना है कि तथ्य के किसी प्रश्न पर न्यायाधिकरण का निर्णय, जिसे निर्धारित करने का अधिकार उसके पास है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह किसी साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से समर्थित न हो। इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय ने थानसिंहनाथमल मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को अपनाया, जहां इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय आम तौर पर ऐसे प्रश्नों का निर्धारण नहीं करता है, जिनके लिए रिट का दावा किए जाने वाले प्रवर्तन के अधिकार को स्थापित करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।"

पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग एवं अन्य बनाम अब्दुल हलीम एवं अन्य (2019) 18 एससीसी 39 में रिपोर्ट किए गए वाद में , माननीय न्यायाधीशों ने पैराग्राफ संख्या 30 में यह निर्धारित किया है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के बाद किया जाना चाहिए कि आक्षेपित आदेश अभिलेख के आधार पर स्पष्ट त्रुटि से दूषित है और इसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया गया है। उपर्युक्त निर्णय का पैरा-30 इस प्रकार है:-

> "30. न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को यह देखना है कि क्या विवादित निर्णय कानून की स्पष्ट त्रुटि से दूषित है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि से कोई निर्णय दूषित है, यह परीक्षण है कि क्या त्रुटि रिकॉर्ड के तथ्य पर स्वयं-स्पष्ट है या क्या त्रुटि को स्थापित करने के लिए जांच या तर्क की आवश्यकता है। यदि किसी त्रुटि को तर्क की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है, उन बिंदुओं पर जहां उचित रूप से दो राय हो सकती हैं, तो इसे रिकॉर्ड के तथ्य पर त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन में (एआईआर 1960 एससी 137 में संप्रकाशित) अवधारित किया गया है। यदि किसी वैधानिक नियम का प्रावधान उचित रूप से दो या अधिक निर्वचनोंके लिए सक्षम है और एक निर्वचनको अपनाया गया है, तो निर्णय रिट कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं होगा। यह केवल एक प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान की स्पष्टतः गलत व्याख्या, या उसकी अज्ञानता या अवहेलना, या ऐसे कारणों पर आधारित निर्णय है जो कानून में स्पष्ट रूप से गलत हैं, जिन्हें उत्प्रेषण-पत्र जारी करकेरिट कोर्ट द्वारा ठीक किया जा सकता है। "

टीसी बसप्पा बनाम टी. नागप्पा के मामले में (1955) 1 एससीआर 250 में रिपोर्ट की गई, माननीय न्यायाधीशों ने अवधारित किया है कि किसी निर्णय में स्पष्ट त्रुटि को उत्प्रेषण की रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, जब यह कार्यवाही के दौरान स्पष्ट त्रुटि द्वारा प्रकट होती है। उपर्युक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है: -

> "10. ...निर्णय या निर्धारण में कोई त्रुटि भी उत्प्रेषण की रिट के अधीन हो सकती है परन्तु यह प्रकट होना चाहिए की ऐसी त्रुटि कार्यवाही के तथ्य पर स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है, उदाहरण के लिए जब यह कानून के प्रावधानों की स्पष्ट अज्ञानता या अवहेलना पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में, एक स्पष्ट त्रुटि को उत्प्रेषण की रिटद्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक गलत निर्णय को नहीं..."

45. न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णयों में विचार किया है, ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आक्षेपितआदेश रिकॉर्ड पर स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।
46. अतएव, उपर्युक्त कारण के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।
47. तदनुसार, ऊपरोक्त- वर्णित विधि की स्थापित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा खण्ड 2.3.1 और 2.3.2 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों पर विचार करने के पश्चात, हमारा यह मत है कि वर्तमान रिट याचिका में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।
48. फलस्वरूप, लंबित आई.ए. को निस्तारितकिया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव.)

सुनील/ ए.एफ.आर

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|